न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 44/21 (वाद)
GCMS No. : 2021/83

1. श्री महावीर प्रसाद पिता फतहलाल जी बंसल अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी फतहनगर, हाल कांकरोली, तहसील राजनगर, जिला राजसमंद (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फतहनगर सनवाड़, तहसील मावली,
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी रामिति फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री रजनीकान्त मेहता, प्रतिवादी संख्या 2

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 27.01.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर, पटवार क्षेत्र फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नम्बर 201 रकबा 0.2185 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है तथा मैं वादी अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करता हूँ और मेरे ही उपयोग उपभोग में निरन्तर चली आ रही है जिसमें प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जबरन मेरे खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से गन्दे पानी एवं बरसाती पानी की निकासी कर दी तथा प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की वजह से आस पास के क्षेत्र का बरसाती पानी मेरी भूमि में एकत्रित होने लग गया तथा गन्दे पानी की नालियों से तरह–तरह के केमिकल निरन्तर मेरी भूमि में बहकर आने लग गये जिससे मौके पर भारी दुर्गन्ध होकर जानलेवा मच्छर एवं अन्य कई ज[illegible]पन्न लग गये तथा नियमित रूप से गन्दा पानी भरा रहने की वजह से मैं वादी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग उपभोग समुचित ढ़ग से नही कर पा रहा हूँ, न ही कृषि कार्य कर सक रहा हूँ जिससे मुझ वादी को निरन्तर आर्थिक नुकसान हो रहा है और गन्दा एवं केमिकल युक्त पानी निरन्तर भरा रहने से मेरी बहुमुल्य कृषि भूमि की उवर्रकता निरन्तर नष्ट होती जा रही है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। मुझ वादी ने प्रतिवादीगण को अनेको बार निवेदन कर मेरी कृषि भूमि की तरफ अनाधिकृत रूप से किये गये बरसाती पानी एवं गन्दे पानी की निकासी को रूकवाने के प्रयास किये गये है लेकिन प्रतिवादीगण ने इस कोई ध्यान नही दिया। अब प्रतिवादीगण स्थायी रूप से ही मेरी खातेदारी की कृषि भूमि में गन्दे पानी एवं बरसाती पानी निकास कराना पर उतारू हो रहे है जिसकी जानकारी मुझ वादी को होने पर मैने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने मुझ वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वो मेरी जमीन में बड़ा नाला बनवाकर पूरी जमीन को तहस–नहस कर नष्ट कर देगें और कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ राजकार्य में बांधा के झूठे मुकदमें लगवाये। जबकि प्रतिवादीगण को मेरे खाते व कब्जेसुदा जमीन में दखलन्दाजी करने या गन्दे पानी, बरसाती पानी की निकास करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूँ।

3. यहकि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। वादग्रस्त कृषि भूमि का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूँ जो मेरे कब्जे अधिकार में होकर मैं वादी उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से करता आ रहा हूँ जिसमें प्रतिवादीगण को मुझ वादी की बिना अनुमति व सहमति के किसी प्रकार से बरसाती पानी अथवा गन्दे पानी की निकासी करवाने का कोई हक व अधिकार नही है और न ही मेरे खाते कब्जे की जमीन में नाला बनवाने का ही अधिकार है। फिर भी प्रतिवादीगण ने नाजायज रूप से मुझ वादी को तंग परेशान करने व जमीन की उपजाऊता, उर्वरकता को नष्ट करने की नियत से मेरे खाते व कब्जेसुदा भूमि में अनाधिकार रूप से गन्दे एवं बरसाती पानी की अस्थाई निकासी करवा रखी है और अब स्थायी रूप से गन्दे व बरसाती पानी की निकासी मेरी भूमि में ही करना चाह रहे है। मुझ वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो भी प्रतिवादीगण नही माने और अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्यों से मुझ वादी को भारी मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ रही है एवं आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Saini
Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से गन्दे पानी एवं बरसाती पानी की निकास नही करावें, नाला नही बनावें, मुझ वादी को मेरे कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

4. यहकि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 28.09.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि में अनाधिकार रूप से स्थायी रूप से नाला निकालने की धमकी और मना करने भी नही माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जेसुदा एवं खातेदारी की कृषि भूमि में किसी प्रकार से गन्दे पानी एवं बरसाती पानी की निकास नही करावें, नाला नही बनावें, मुझ वादी को मेरे कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। कि विकल्प में निवेदन है कि दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण जबरन मुझ वादी की खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि पर स्थायी नाला निकाल देवे या पाया जावें तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध 28/9/2021 को वादकारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Siri
Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकी वादी को उक्त दिनांक को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है चुकि जिस प्रकार वादी ने वादपत्र में अंकित किया की बरसाती पानी की निकासी कर रखी है इस कथन से ही स्पष्ट है कि वादी स्वयं मानता है कि बरसाती पानी की निकासी प्राकृतिक जल प्रवाह होने के चलते कई वर्षो से यानि की तकरीबन 50 वर्षो से अधिक समय से इसी मार्ग से पानी की निकासी होती चली आ रही है प्राकृतिक जल प्रवाह के मार्ग को बदल कर रोक पाना सम्भव नही है उक्त पानी की निकासी में नगरपालिका के द्वार व हनुमान मंदिर के पास होता हुआ मण्डी परिसर के पास स्थित नाले से होता हुआ तालाब पेटे मे जाता है। उक्त पानी की निकासी बाबत वादी को कई वर्षो पूर्व से जानकारी है। वार्ड न. 17 व 18 एवं बस स्टेण्ड व अन्य स्थानो का बरसाती पानी मण्डी समिती के मुख्य द्वार व हनुमान मंदिर के पास होता हुआ मण्डी परिसर के पास स्थित नाले से होता हुआ तालाब पेटे मे जाता है। उक्त पानी की निकासी बाबत वादी को कई वर्षो पूर्व से जानकारी है। इस प्रकार वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है मात्र प्रतिवादी को परेशान करने हेतु विधी का दुरूपयोग कर इस प्रकार से वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण किया है।

7. यह कि वादी ने प्रतिवादी को परेशान करने की गरज से वर्ष 2020 मे भी नोटिस प्रेषित किये जिसका भी जवाब प्रतिवादी स. 2 द्वारा दिया गया जिसमें भी प्रतिवादी स. 2 द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा ना तो कोई गन्दा पानी छोडा जाता है जो भी नाले से होकर तालाब में पानी जाता है व बरसाती पानी है। इस प्रकार वादी द्वारा वर्ष 2020 व उससे पूर्व भी इस प्रकार के नोटिस देने से यह माना जा सकता हे कि वादी को उक्त बरसात के पानी की निकासी की पूर्ण जानकारी थी मात्र वाद प्रस्तुत करने हेतु वादकारण की दिनांक मनमकसूद 28/9/2021 बता कर उक्त वाद तथ्यो को छिपाते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया है जब कोई पक्षकार न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आता हे तो वह न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

8. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने हेतु व मात्र वाद प्रस्तुत करने बाबत मनमकसूद तारीख अकिंत कर दिनांक 28/9/2021 का वादकारण बनाकर वाद प्रस्तुत किया हे जबकी वादी को दिनांक 28/9/2021 को कभी कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ। वादी को विरुद्ध प्रतिवादीगण उक्त दिनांक को व ना ही इससे पूर्व भी कभी कोई वादकारण ही उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अन्तर्गत होने से चलने योग्य नही हैं वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज होने योग्य है आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी मे स्पष्ट अंकित है कि जब किसी वाद मे वाद हेतुक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो वाद निरस्त होने योग्य है साथ ही वादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आया है जिससे भी वादी किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद इसी स्टेज पर निरस्त होने योग्य है।

10. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को हेरान व परेशान करने की गरज से दिनांक 3.7.20 को भेजे गये नोटिस से भी स्पष्ट है कि वादी को पूर्व से ही वाद में वर्णित समस्त तथ्यो की जानकारी थी फिर भी वादी ने 80 सी.पी.सी के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित नही किया। मात्र यह कह देना की वाद आवश्यक प्रकृति का है इसलिये नोटिस देने मे न्यायालय आप से छूट चाहिये स्वीकार योग्य नही है चूकि वाद में अंकित कथनो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी को सभी तथ्यो की पूर्व से ही जानकारी थी मात्र वाद प्रस्तुत करने, प्रतिवादीगण को परेशान करने व न्यायालय को गुमराह करने के उदेश्य से इस प्रकार धारा 80 सी.पी.सी के तहत दिये जाने वाले नोटिस में छूट का कथन कर झूठा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया है। इसलिये वादी धारा 80 सी.पी.सी के तहत दिये जाने वाले नोटिस में छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिससे भी वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर सव्यय निरस्त फरमावें।

11. वादी/अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा मात्र प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व वाद कारण उत्पन्न होने का कथन अंकित नहीं किया है वरन दोनो प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 28.09.2021 को वाद कारण उत्पन्न होने का कथन किया है तथा किस प्रकार प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादी के स्वामित्व की भूमि में से गन्दे पानी एवं बरसात के पानी की निकासी हेतु नाला बनाना चाह रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। अन्य तथ्य गलत अंकित किए है जिन तथ्यों की स्वीकृति मुझ वादी द्वारा नहीं दी गई है उनका मिथ्या आरोप लगाकर प्रतिवादी न्यायालय को गुमराह कर रहा हैं।

12. यह कि वादी द्वारा जो भी नोटिस प्रेषित कराये गये है वे पूर्ण रूप से अपने विधिक अधिकारों की रक्षार्थ प्रेषित किए गए है [illegible] बार दिनांक 28.09.2021 को वाद कारण उत्पन्न हुआ जिस[illegible] होकर अपने अधिकारों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

रक्षार्थ यह वाद प्रस्तुत करना पडा जो पूर्णरूपेण न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। दिनांक 28.09.2021 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है जिसके फलस्वरूप ही वाद प्रस्तुत करना पडा जो पूर्णरूपेण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं। प्रतिवादी को अपने जो भी उजर लेने है वह चाहे तो जवाबदावें में दे सकता है पर्याप्त वाद हेतुक का उल्लेख किया गया है जिससे वादी का वाद पूर्णरूपेण श्रवण योग्य हैं। वादी द्वारा धारा 80(2) जा.दी. में छुट हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पत्रावली में मौजूद हैं।

13. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी जो भी उजर लेना चाहे अपने जवाबदावें में ले सकता है तत्पश्चात् उभय पक्षकारान की साक्ष्य उपरान्त तय होगा। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य उजरात वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

14. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी उपस्थिती तलबी होने की दिनांक 29/11/2021 को ही उपस्थिती देकर आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब लम्बे अन्तराल के पश्चात तकरीबन तीन वर्ष के पश्चात दिनाक 22/2/2024 को प्रस्तुत किया जिससे साफ जाहीर है कि वादी स्वयं वाद को लम्बा करना चाहता है और दुसरी ओर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से यह अंकन करता है कि मामला आवश्यक नेचर का होने से 80 सी.पी.सी का नोटिस नही दिया गया है। धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस नही देने से ही दावा खारीज होने योग्य है।

15. यह कि वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादी सं 2 के विरूद्ध 28/9/2021 को वादकारण उत्पन्न होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकी वादी को उक्त दिनांक को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है चूंकि जिस प्रकार वादी ने वादपत्र में अंकित किया की बरसाती पानी की निकासी कर रखी है इस कथन से ही स्पष्ट है कि वादी स्वयं मानता है कि बरसाती पानी की निकासी प्राकृतिक जल प्रवाह होने के चलते कई वर्षो से यानि की तकरीबन 50 वर्षो से अधिक समय से इसी मार्ग से पानी की निकासी होती चली आ रही है प्राकृतिक जल प्रवाह के मार्ग को बदल कर रोक पाना सम्भव नही है उक्त पानी की निकासी में नगरपालिका के वार्ड न. 17 व 18 एवं बस स्टेण्ड व अन्य स्थानो का बरसाती पानी मण्डी समिती के मुख्य द्वार व हनुमान मंदिर के पास होता हुआ मण्डी [illegible] से होता हुआ तालाब पेटे मे जाता है। उक्त पानी की [illegible] वर्षो पूर्व से जानकारी है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sarvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है मात्र प्रतिवादी को परेशान करने हेतु विधी का दुरूपयोग कर इस प्रकार से वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण किया है।

16. यह कि वादी ने प्रतिवादी को परेशान करने की गरज से वर्ष 2020 में भी नोटिस प्रेषित किये जिसका भी जवाब प्रतिवादी स. 2 द्वारा दिया गया जिसमें भी प्रतिवादी स. 2 द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा ना तो कोई गन्दा पानी छोडा जाता है जो भी नाले से होकर तालाब मे पानी जाता है वह बरसाती पानी है। इस प्रकार वादी द्वारा वर्ष 2020 व उससे पूर्व भी इस प्रकार के नोटिस देने से यह माना जा सकता है कि वादी को उक्त बरसात के पानी की निकासी की पूर्ण जानकारी थी मात्र वाद प्रस्तुत करने हेतु वादकारण की दिनांक मनमकसूद 28/9/2021 बता कर उक्त वाद तथ्यो को छिपाते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया है जब कोई पक्षकार न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आता है तो वह न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

17. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने हेतु व मात्र वाद प्रस्तुत करने बाबत मनमकसूद तारीख अंकित कर दिनांक 28/9/2021 का वादकारण बनाकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादी को दिनांक 28/9/2021 को कभी कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ। वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्त दिनांक को व ना ही इससे पूर्व भी कभी कोई वादकारण ही उत्पन्न हुआ। वादी का वाद बिना वादकारण व बार्ड बाई ला होने से खारीज होने योग्य है।

18. यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अन्तर्गत होने से चलने योग्य नही हैं वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज होने योग्य है आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी मे स्पष्ट अंकित है कि जब किसी वाद मे वाद हेतुक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो वाद निरस्त होने योग्य है साथ ही वादी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आया है जिससे भी वादी किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद इसी स्टेज पर निरस्त होने योग्य है।

19. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को हेरान व परेशान करने की गरज से दिनांक 3/7/2020 को भेजे गये नोटिस से भी स्पष्ट है कि वादी को पूर्व से ही वाद मे वर्णित समस्त तथ्यो की जानकारी थी फिर भी वादी ने 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित नही किया। [illegible] वाद आवश्यक प्रकृति का है इसलिये नोटिस देने मे न्या[illegible] स्वीकार योग्य नही है चूंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद में अंकित कथनो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी को सभी तथ्यो की 2020 से ही जानकारी थी मात्र वाद प्रस्तुत करने, प्रतिवादीगण को परेशान करने व न्यायालय को गुमराह करने के उदेश्य से इस प्रकार धारा 80 सी.पी.सी के तहत दिये जाने वाले नोटिस में छूट का कथन कर झूठा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। इसलिये वादी धारा 80 सी.पी.सी के तहत दिये जाने वाले नोटिस में छूट प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जिससे भी वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं 2 कृषि मण्डी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा दी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर सव्यय खारीज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

20. अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादी का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं होने से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

21. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

22. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली के आराजी नम्बर 201 किता 1 रकबा 0.2185 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज हैं। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जबरन मेरे खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में अनाधिकृत रूप से गन्दे एवं बरसाती पानी की निकासी कर दी। इस आधार पर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त पानी की निकासी मेरे खेत में नहीं की जावें। न्यायालय का विनम्र अभिमत हैं कि वादी उक्त वाद के माध्यम से प्रतिवादीगणो को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है कि बरसाती पानी वादग्रस्त आराजीयात में नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि वादी पानी के प्राकृतिक बहाव को रूकवाना चाहता हैं। यदि पानी के प्राकृतिक बहाव को रोका जाता है तो आमजन को असुविधा हो सकती हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी प्रकरण संख्या 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में भी स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक बहाव अवरूद्ध नही होना चाहिए। बहाव में अवरोध आ रहा है, तो ऐसा अवरोध हटाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वादी के वाद में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात के आधार पर वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री महावीर प्रसाद पिता फतहलाल जी बंसल अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी फतहनगर, हाल कांकरोली, तहसील राजनगर, जिला राजसमंद (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फतहनगर सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी रामिति फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 44/21 (वाद) GCMS No. : 2021/83

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested